

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नौएडा(उ0प्र0)

संख्या:-नौएडा/मु0वा0नि0/2015/ III-277/ 1102

दिनांक: 15-2-2019

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

उत्तर प्रदेश

सेवा में,

M/s IVR Prime Developers (Avadi)

1114, Hemkund Chambers

89, Nehru Place, New Delhi-110019

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 07.03.2018 के संदर्भ में आप द्वारा पुनरिक्तित भवन मानचित्र क्रय योग्य एफ0ए0आर0 सहित ग्रुप हाऊसिंग जी.एच.01, सेक्टर-118, नौएडा पर निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष (निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नौएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित(एफेक्टेट) नहीं माना जायेगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय माँगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. दरवाजे व खिड़कियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढ़ाव(प्रोजेक्ट) न हों।
6. बिजली की लाईन से पॉच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न ही किया जायेगा।
7. आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरुद्ध नहीं होना चाहिए।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसिफिकेशन नौएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा। आवंटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नौएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा। अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
9. आवंटी मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
10. सड़क पर अथवा बैंक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेंगे। वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
11. आवंटी द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था का निरीक्षण नौएडा(भवन प्रकोष्ठ) विभाग द्वारा करायेगा एवं निरीक्षण के उपरान्त ही आवंटी उसे ढकेगा।
12. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते पट्टेदार को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुनर्जीवित करा लिया हो। पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा।

स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ संलग्न है, भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में ना लायें ।

• भूखण्ड का क्षेत्रफल	= 1,42,967.00 वर्ग मी०
• अनुमन्य भू-आच्छादित क्षे० 30%	= 42,890.10 वर्ग मी०
• आवंटन के समय अनुमन्य एफ.ए.आर. @ 2.0	= 285934.00 वर्ग मी०
• क्रय योग्य एफ०ए०आर० @3.5	= 500384.50 वर्ग मी०
• अनुमन्य ऊँचाई	= कोई सीमा नहीं
• पूर्व स्वीकृत ऊँचाई	= 81.70 मी०
• प्रस्तावित ऊँचाई	= 132.90 मी०
• अनुमन्य सैटबैक	= अग्र 25.0 मी० व अन्य तीनों साइड 9.00 मी०

आवंटी संस्था द्वारा क्रय योग्य एफ०ए०आर० हेतु आवेदन के आधार पर निर्मित/प्रस्तावित का तलवार विवरण निम्नानुसार है:-

तल	अनुमन्य क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	पूर्व में स्वीकृत क्षेत्रफल एफ.ए.आर. (वर्ग मी०)	वर्तमान में पुनरीक्षित स्वीकृति हेतु एफ.ए.आर., क्षे०, (वर्ग मी०)
पोडियम/स्टिप्ट/भूतल	42,890.10 शेष एफ.ए.आर.	1753.27	6112.74
प्रथम तल		17730.91	16336.04
द्वितीय तल		16708.57	20229.93
तृतीय तल		16780.57	20163.99
चतुर्थ तल		16780.57	20263.80
पंचम तल		14317.93	20347.24
छटवां तल		14317.93	20355.41
सातवां तल		10868.25	20163.27
आठवां तल		10868.25	20358.41
नौवां तल		10868.25	20341.06
दसवां तल		10868.25	20344.63
ग्यारहवां तल		10868.25	20339.82
बारवां तल		10868.25	20157.54
तेरहवां तल		10868.25	20638.94
चौदहवां तल		10868.25	20354.53
पन्द्रहवां तल		10868.25	20339.34
सोलहवां तल		10868.25	20338.42
सत्रहवां तल		10868.25	20169.15
अट्ठारवां तल		10868.25	20354.53
उन्नीसवां तल		10868.25	20372.50
बीसवां तल		10868.25	20372.54
इक्कीसवां तल		10868.25	20374.02
बाईसवां तल		10868.25	20193.98

Bga *R* *h*

सेटबेक विवरण:-

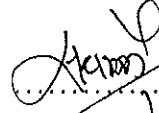
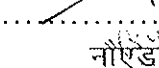
सेटबेक	अनुमन्य (मी०)	प्रस्तावित (मी०)	
		भवन	तहखाना
अग्र	25.0	25.00	6.00
पृष्ठ	9.00	9.0/12.0	6.00
बाई साइड	9.00	9.0/12.0	6.00
दाई साइड	9.00	9.0/12.0	6.00

Map for proposed Building is as per Bye
Laws submitted for approval Please.


P. Asst.


Asst. Arch


Architect

नाम 
पद 
नोएडा 

प्रतिलिपि- महाप्रबन्धक(ग्रुप हाऊसिंग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।